

29.10.21

पत्रावली चेश। कबीर वादी उपस्थित नहीं।  
वादीगण एवं कबीर वादीगणों को लुके  
न्यायालय में बार-बार जोर-जोरसे  
आवाजें लगाई गई लेकिन फिर भी  
वादीगण असमस्त या कमावस्तन  
उपस्थित नहीं। अतः यह वाद परत  
'अक्षम हाजरी व अक्षम पैली में' इसी  
स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली नष्ट से इस हेतु दायित्व  
हफ्तल हो।

(अशिताफ)  
उपखण्ड अधिकारी  
घडसाना